बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ०–03–08/2022(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–...............................

डॉ० राजेश कुमार सिंह नीरज, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरणाटॉड, बगहा–2, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2016–20 में संस्थान में रोगी कल्याण समिति की आयोजित बैठक में प्रखंड प्रमुख पदेन का हस्ताक्षर अंकित नहीं पाये जाने, रोगी कल्याण समिति की भिन्न–भिन्न तिथियों को आयोजित बैठक में सदस्यों के नाम में भिन्नता पाये जाने, जाँच समिति के समक्ष एक्स–रे हेतु परामर्शित संधारित पंजी प्रस्तुत नहीं करने, विज्ञापन प्रकाशित किए बिना ही अस्पताल के आहार एवं पथ्य का कार्य किसी खास व्यक्ति को आवंटित करने, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वाल्मीकिनगर में वित्तीय वर्ष 2015 के पश्चात् रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित किए बिना भिन्न–भिन्न चेकों के माध्यम से राशि की निकासी करने, दिनांक–12.02.2021 को आहरित की गयी 20,000/–रु० की राशि के औचित्य को पंजी में संधारित नहीं किये जाने तथा चिकित्सकों के भुगतान में अनियमितता बरतने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–499(9) दिनांक–20.05.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में डॉ० नीरज के विरूद्ध गठित आरोपों को आंशिक प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। तत्पश्चात् डॉ० नीरज से विभागीय पत्रांक–1249(9) दिनांक–15.12.2025 द्वारा लिखित अभ्यावेदन की मॉग की गयी, जिसके अनुपालन में डॉ० नीरज द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० नीरज के समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि सिविल सर्जन, बेतिया के पत्रांक–2062 दिनांक–03.11.2017 के प्राप्त निदेश एवं रोगी कल्याण समिति में दिनांक–02.12.2017 को प्राप्त सहमति से निविदा के माध्यम से एजेंसी के चयन होने तक पथ्य एवं आहार का कार्य प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरणाटॉड के पत्रांक–458 दिनांक–26.12.2017 द्वारा स्थानीय ग्रामीण को प्राधिकृत किया गया, जिससे पथ्य एवं आहार में अनियमितता प्रमाणित प्रतीत नहीं होता है। दन्त चिकित्सक का उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया गया। एक्स–रे संचालक के कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने की सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गयी थी, परन्तु डॉ० नीरज के द्वारा रोगी कल्याण समिति का बैठक कराये बिना अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वाल्मीकिनगर में दिनांक–12.02.2021 को 20,000/–रु की निकासी की गयी है। दिनांक–29.02.2016 के उपरान्त दिनांक–18.02.2020 को रोगी कल्याण समिति की बैठक करायी गयी है। इस अवधि में डॉ० नीरज द्वारा बैठक कराये बिना राशि की निकासी की गयी। डॉ० नीरज द्वारा सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु अनुरोध करने से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतएव डॉ० नीरज के विरूद्ध पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने, कार्य के अभिरूचि में उदासीनता, स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(V) के अधीन सचयी प्रभाव के बिना दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

कृ०पृ०उ०

(15)

4. अतएव डॉ० राजेश कुमार सिंह नीरज, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरणाटॉड़, बगहा–2, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के विरूद्ध पदीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने, कार्य में अभिरूची न लेते हुए उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(V) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

5. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

Email

ज्ञापांक–9/आ०–03–08/2022(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–................................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ०–03–08/2022(स्वा0) 361(9) /पटना, दिनांकः–02.04.26

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, माननीय बिहार विधान सभा द्वारा तारांकित–प्रश्न सं०–328 के आलोक में अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० राजेश कुमार सिंह नीरज, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरणाटॉड़, बगहा–2, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उपेन्द्र
02/04/2026
सरकार के अवर सचिव।